

परिशिष्ट –III

(प्रारूप 'ए')

आयुध अनुज्ञापति के लिए आवेदन का प्रारूप

(नियम 51 देखिए)

भाग-क आवेदक की पहचान

- 1-नाम.....
- 2-पिता/पति का नाम.....
- 3-जन्म स्थान.....
- 4-जन्म तिथि (शब्दो व अंको में).....
- 5-वर्तमान पता.....
(क) निकटतम पुलिस थाना.....
- 6-स्थायी पता.....
(ख) निकटतम पुलिस थाना
- 7-व्यवसाय और कार्यालय व पद का नाम यदि कोई है
- 8-जाति (सामान्य,अनु0जाति,अनु0जनजाति,पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक)

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

टिप्पणी-निकटतम पुलिस थाने से अभिप्राय है कि वह पुलिस थाना जिसके अधिकारिता के अधीन पते में दिया गया स्थान स्थित है।

भाग—ख आवेदन की अन्य विशिष्टियां

9— क्या आवेदक को

(क) सिंह दोष ठहराया गया है, यदि हाँ तो अपरा दण्डादेश और दण्डादेश की तारीख लिखिए ।

(ख) परशान्ति कायम रखने के लिए व सदाचार के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 2) अध्याय 8 के अधीन कोई बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश किया गया है यदि किया गया तो कब तक कितनी अवधि तक के लिए ।

(ग) आयुध/गोला बारूद को रखने से आयुध अधिनियम 1959 या किसी अन्य नियम के अधीन निषिद्ध किया गया है ।

10(क) क्या आवेदक का अनुज्ञप्ति के लिए पहले भी आवेदन किया है यदि किया है तो कब किसे और उसका परिणाम क्या हुआ ।

(ख) क्या आवेदक का अनुशासन कभी निलम्बित/निरस्त खण्डित किया यदि हाँ तो कब और किससे द्वारा किस कारण से ।

(ग) क्या आवेदक के परिवार के किसी अन्य किसी सदस्य के पास कोई शस्त्र अनुज्ञप्ति है । यदि हाँ तो उसका विवरण ।

11— क्या आवेदक

अ— अनुज्ञप्तिधारी यदि है तो आयुध का विवरण ।

ब— के पास जायुत्री को रखने के लिए सुरक्षित स्थान है ।

स— वास्तविक पर्यटक है यदि है तो

1— किस देश का है उस देश का नाम

2— क्या वह किसी आयुध और गोला बारूद को अपने कब्जे में रखने से अपने देश की विधियों द्वारा निषिद्ध किया गया है ।

3— भारत में उसके आगमन की सम्भाव्य तारीख

टिप्पणी— वास्तविक पर्यटक को आयुध और गोला बारूद की धारा और नियम 32 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन केवल आखेट के प्रयोजन के लिए ही बल्कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए ।

भाग— ग लाइसेन्स की विशिष्टियां

- 12— लाइसेन्स की आवश्यकता
13— फार्म का नम्बर जिसमें लाइसेन्स की मांग की गई है।
14— आयुध/बारूद का विवरण
15(अ) उस क्षेत्र का नाम जिसके अन्तर्गत आवेदक आयुध बारूद ले जाना चाहता है।
(ब) उस स्थान का नाम जहाँ आयुध/बारूद रखा जायेगा /निर्माण किया जायेगा।
(स) स्थान/रास्ते का विवरण जहाँ से आयात/निर्यात किया जायेगा।
16— अन्य आवश्यक विवरण जो लाइसेन्स फार्म में आवश्यक है।
17— लाइसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेखनीय तथ्य यदि हो।
(क) सांसद/विधान सभा/विधान परिषद सदस्य
(ख) ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध कोई जघन्य अपराध घटित हुआ है।
(ग) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी
(घ) व्यवसायी
(ङ) ऐसे व्यक्ति जिनको वास्तविक जीवन भय है।
(च) उत्तराधिकार/स्थानान्तरण प्रमाण पत्र

भाग— घ उन आवेदकों के जो आयात/निर्यात/परिवहन पुनः निर्यात पुनः आयात के लिए

अनुज्ञप्ति चाहते हैं।

- 1.(क) क्या नियम 50 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी की पूर्ण अनुमति आवश्यक है यदि ऐसा है तो क्या अनुमति प्राप्त हो गई है यदि हाँ तो
(ख) उसके सम्बन्ध में साक्ष्य

टिप्पणी— कालम 12 के सम्बन्ध में आवेदन का स्पष्ट रूप से लाइसेन्स दिये जाने का कारण उल्लेख करना चाहिए जिस कारण उसे लाइसेन्स की आवश्यकता है जैसे प्रयोग अधिग्रहण कब्जे में रखी जाने निर्माण करने विक्रय हस्तान्तरण, मरम्मत, बदलने,परीक्षण, आयात, पुनः आयात, निर्यात परिवहन, स्वयं की सुरक्षा, क्रीड़ा दिखाने, जंगली जानवर , मानव/पशुओं को घायल सकते हैं, के मारने हेतु अपनी फसल एवं पशुओं की रक्षा हेतु , लक्ष्य अभ्यास,वास्तविक पर्यटक का भारत में भ्रमण के समय अस्थायी रूप से रखने हेतु।

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार उपरोक्त विवरण जो प्रार्थना पत्र में दिये गये हैं वह सत्य पूर्ण और सही है। मैं यह जानता हूँ कि झूठी या गलत सूचनाएं किसी भी स्तर पर पाये जाने पर मैं इसके लिए दोषी हूँगा और आयुध अधिनियम -1956 व आयुध नियमावली 1962 तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किये गये नियम (जो वर्तमान में लागू है) अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के लिए उत्तरदायी हूँगा।

स्थान –
दिनांक –

प्रार्थी के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

(टिप्पणी – अनुज्ञप्ति प्रविष्टि का खण्डन कीजिए।)

चेतावनी- प्रार्थना पत्र में छिपायी गयी किसी भी तथ्यात्मक सूचनाएं कोई भी झूठी या गलत सूचना नियम 51ए का उल्लंघन होगा, जिसके

आवेदक शस्त्र अधिनियम 1950 की धारा 30 के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।